कार्यालय कलेक्टर जिला सीधी (म.प्र.)

सीधी जिले में कार्यरत राजस्व अधिकारियों अपर कलेक्टर/संयुक्त कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर एवं तहसीलदार/अतिरिक्त तहसीलदार के कार्य सम्पादन एवं भ्रमण के लिये इनोवा/स्कार्पियों एवं बोलेरो वाहनों की आवश्यकता है । इस हेतु प्रशासन को किराये का वाहन उपलब्ध कराये जाने हेतु निम्नांकित शर्तो का पालन करते हुये आगामी 02 वित्तीय वर्ष 2021–22 एवं 2022–23 (31 मार्च 2023) तक के लिये 26.04.2021 को दोपहर 3.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है । निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी । विज्ञापन एवं शर्ते व आवेदन का प्रारूप इत्यादि का विवरण WWW.sidhi.nic.in पर एवं कार्यालय के सूचना पटल पर देखा जा सकता है।

–: निविदाकार हेतु शर्ते :–

1. वाहन माडल वर्ष 2018 या इसके बाद का होना आवश्यक है । डीलक्स अथवा लक्जरी वाहन एवं निजी वाहन किराये पर नहीं ली जावेगी । वाहन प्रदाय करने की समयावधि में किसी भी समय वाहन 03 वर्ष से पुरानी नहीं होने चाहिए । वाहन का रजिस्ट्रेशन एवं रोड टैक्स जमा होने के साथ–साथ वाहन अपेक्षित मापदण्डों के तहत संधारित और अच्छे चलने की स्थिति में मय वाहन चालक के साथ होना चाहिए ।
2. उपलब्ध कराये जाने वाले वाहन वाणिज्यिक परिवहन यान के रूप में दर्ज होना चाहिये तथा ट्रेवल एजेन्सी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आर.टी.ओ.) कार्यालय से पंजीकृत होना आवश्यक है । जो वाहन किराये पर लिये जायेगें उस संबंधित वाहन मालिक/संस्था के पैन कार्ड की छायाप्रति इत्यादि बंद लिफाफा क्रमांक 01 में जमा करें ।
3. शासकीय कार्यालय में तीन वर्ष का कार्यानुभव होना अनिवार्य है ।
4. वाहनों की स्थिति व रख रखाव उत्तम श्रेणी का हो आवश्यकता के अनुरूप राष्ट्रीय ध्वज/डेंजर सर्च लाईट/हुटर सेट/सीट कव्हर, साउंड सिस्टम, पब्लिक एड्रेस सिस्टम सहित आदि होना चाहिये ।
5. वाहन चालक स्वच्छ वर्दी में हो । वाहन चालक आपराधिक चरित्र का व्यक्ति न हो । उसके पास कार्मिशयल वाहन चालक का लायसेंस हो ।
6. विभिन्न दरें (डीजल सहित एवं डीजल रहित) निर्धारित प्रपत्र में पृथक–पृथक लिफाफे में दी जावें ये दरें 31 मार्च 2023 तक के लिये रहेगी । तकनीकी निविदा की सभी शर्तो को पूरा करने पर प्रतिस्पर्धा हेतु पात्र पाये जाने की स्थिति में ही निविदा दाता के वित्तीय प्रपत्र (बंद लिफाफा क्रं.02) को निविदा समिति व्दारा निर्धारित तिथि एवं समय पर खोला जावेगा ।
7. अल्पावधि सूचना पर भी वाहन उपलब्ध कराना आवश्यक होगा । मांग किए जाने व एक घंटा (साठ मिनिट) के अंदर वाहन निर्धारित स्थान पर पहुँचाना होगा ।

8. किराएं की अवधि में वाहन के सम्पूर्ण संधारण के व्यय का वाहन प्रदाता को करना होगा । वाहन का मासिक किराये के अतिरिक्त कोई भुगतान नहीं किया जायेगा ।
9. वाहन प्रदाता को वाहन के काम्प्रीहेन्सिव, बीमा, रजिस्ट्रेशन इत्यादि से संबंधित कागजात हमेशा वाहन में रखने होगें । किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर वाहन प्रदाता उसके लिए पूर्ण जिम्मेदार होगा । वाहन का अद्यतन रखना आवश्यक होगा ।
10. वाहन में हुई किसी तकनीकी खराबी होने या अन्य किसी कारणवश यदि आवश्यकतानुसार वाहन का उपयोग करने में बाधा आती है तो वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी ।
11. वाहन के स्थानीय या मुख्यालय से बाहर के उपयोग में न्यूनतम दूरी इत्यादि का कोई बंधन नहीं रहेगा ।
12. निविदा पर निविदाकार के हस्ताक्षर न होने की स्थिति में निविदा अमान्य होगी ।
13. मार्ग में वाहन खराब होने की स्थिति में वाहन के खराब होने के स्थान से गैरेज तक लाने का दायित्व वाहन प्रदाता का होगा ।
14. वाहन प्रदाता व्दारा निविदा प्रस्तुत करते समय सुरक्षा निधि के रूप में राशि रूपये 10000/– (रूपये दस हजार मात्र) कलेक्टर सीधी के पक्ष में डी.डी. के रूप में लिफाफा क्रं.01 में रखना होगा जो कि अनुबंध समाप्ति पर वाहन प्रदाता को वापस योग्य होगी ।
15. वाहन के संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद होने पर उसके निराकरण का उत्तरदायित्व वाहन प्रदाता का होगा एवं वाहन के उपयोग के फलस्वरूप यदि कोई वैधानिक क्षतिपूर्ति आदेशित की जाती है तो उसकी सम्पूर्ण जवाबदारी वाहन प्रदाता की होगी ।
16. किसी भी निविदा को बिना कोई कारण बतायें निरस्त करने का अधिकार कलेक्टर जिला सीधी को होगा ।
17. वाहन को किराये पर प्रदाय करने के आदेश इस कार्यालय से जारी होने के बाद आदेश प्राप्ति के 10 दिनों के अंदर वाहन प्रदाता का रूपये 500/– मात्र के स्टाम्प पर अनुबंध निष्पादित करना होगा ।
18. निविदा आमंत्रण सूचना निविदा प्रपत्र एवं वाहन प्रदाता व्दारा प्रस्तुत उपरोक्त विभिन्न सत्यापित अभिलेख भी अनुबंध के अंग होंगे ।
19. किसी भी विवाद की स्थिति में विवाद कलेक्टर जिला सीधी को संदर्भित किया जा सकेगा तथा उनके व्दारा पारित निर्णय उभय पक्षों को मान्य होगा ।

5.4.21

20. प्रत्येक वर्ष निविदा की शर्तों का संतोषप्रद तरीके से पालन करने पर ही आगामी वर्ष के लिए वाहन निरन्तर रखा जावेगा । उल्लंघन करने या संतोषप्रद सेवाएं देने पर धरोहर राशि राजसात कर अनुबंध समाप्त कर दिया जायेगा ।

21. यह अपेक्षा की जाती है कि निविदा खोलने के समय समस्त निविदाकार समिति के समक्ष उपस्थित रहें । सबसे न्यूनतम दर प्रदाय करने वाले वाहन स्वामी की वाहन अनुबंधित करने के कार्य आदेश जारी किये जायेंगे । कार्यालय को आवश्यक वाहन संख्या न्यूनतम दर प्रदायकर्ता निविदाकार के पास नहीं होने पर उसके पश्चात अधिकतम दर प्रदायकर्ता एवं उसके बाद भी पर्याप्त संख्या में वाहन उपलब्ध न होने पर उसके पश्चात अधिकतम दर प्रदायकर्ता से सहमति व्दारा की जाएगी जब तक कार्यालय को आवश्यक वाहनों की पूर्ति नहीं हो जाती है व सहमति नहीं देने पर उनकी निविदा खारिज करने का सम्पूर्ण अधिकार समिति को होगा जो सर्वमान्य होगा ।

22. प्रत्येक निविदाकार को कम से कम पॉच या उससे अधिक वाहन उपलब्ध करना होगा एवं इससे संबंधित जानकारी प्रदाय करनी होगी । पॉच से कम वाहन प्रदाताओं की निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी ।

23. अनुबंधित वाहनों की स्थिति तथा नियम/शर्तो का परीक्षण/निरीक्षण किसी भी समय विभागीय अधिकारी व्दारा किया जा सकेगा । वाहन की स्थिति खराब होने से नियम–शर्तो का उल्लंघन पाये जाने पर वाहन का अनुबंध बिना कारण बताएं समाप्त किया जा सकेगा ।

24. वाहन आवश्यकतानुसार किराए पर लिया जायेगा। आवश्यकता नहीं होने पर किसी भी समय एकपक्षीय रूप से पृथक किया जा सकेगा।

15.4.21

अपर कलेक्टर
जिला सीधी (म.प्र.)

कार्यालय कलेक्टर जिला सीधी (म.प्र.)

निविदा प्रपत्र भाग – एक

निविदा फार्म आवेदन का प्रारूप

1. फर्म का नाम ....

2. फर्म का पता ....

3. फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि का नाम व मो.नं. . ...

4. फर्म के स्थापना का जीवित पंजीयन की प्रति ....

5. फर्म/संस्था का क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय व्दारा जारी रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति

6. जी0एस0टी0 नं. ....

7. शासकीय कार्यालयों में वाहन लगाने का तीन वर्षो का कार्यानुभव प्रमाण–पत्र ....

8. तीन वित्तीय वर्षो का टर्न ओवर सी.ए. से प्रमाणित बैंक स्टेटमेंट सहित ....

9. एफ.डी.आर. का विवरण

राष्ट्रीयकृत बैंक का नाम	क्रमांक	दिनांक	राशि

आवेदक के हस्ताक्षर

कार्यालय कलेक्टर जिला सीधी (म.प्र.)

निविदा प्रपत्र भाग–दो

क्रं.	वाहन का नाम	किराया (वाहन चालक सहित)				किराया (वाहन चालक रहित)			
		मासिक	दैनिक	प्रति कि.मी.		मासिक	दैनिक	प्रति कि.मी.	
				ए.सी.	नॉन ए.सी.			ए.सी.	नॉन ए.सी.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	स्कार्पियो								
2.	एनोवा								
3.	बुलेरो								

निविदा कर्त्ता के हस्ताक्षर